

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 08 मई, 2025

:::प्रोन्नति आदेश:::

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27-02-2025 में की गयी संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान सहायक (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०:-	वर्तमान तैनाती	जन्मतिथि
1	2	3	4	5
01	3011	मानस मिश्रा/ प्रेम शंकर मिश्रा	शाहजहाँपुर	25/12/1986
02	3012	कृष्णा तिवारी/ अनिल कुमार तिवारी	कानपुर	29/01/1993
03	3012ए	अरविन्द यादव/ दीनानाथ यादव	सुल्तानपुर	10/01/1987
04	3012 बी	इन्द्रजीत सिंह चौहान/ राकेशपाल सिंह चौहान	गोरखपुर	26/06/1995
05	3013	रजनीश कुमार पाल/ देवी प्रसाद पाल	लखनऊ	25/10/1986
06	3014	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/ राजेश कुमार गुप्ता	झाँसी	08/10/1990
07	3015	अनूप कुमार/ इन्द्रपाल कुशवाहा	कानपुर	05/06/1993
08	3017	ज्ञानवेन्द्र कुमार/ जितेन्द्र नाथ उपाध्याय	आगरा	17/09/1990
09	3018	लक्ष्मी यादव/ रमेश सिंह यादव	लखनऊ	15/07/1990

2- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती सम्बन्धित जोन / कार्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक-21-05-2025 तक कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराये तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जाँच चल रही हो तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों में से यदि किसी कर्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे।

7- उपरोक्त कार्मिकों की वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-2393/2025 श्री आशीष कुमार वर्मा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जाती है।



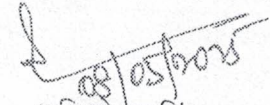
(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, बरेली, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, शाहजहाँपुर, कानपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, झाँसी एवं आगरा।
- 7- पटल प्रभारी 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।



(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।